IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 26, Issue 1, Series 5 (January. 2021) 54-57
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

सरपंच पति के चलन का एक आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन

अनुराधा
राजनीतिक विज्ञान विभाग चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (भारत)

Date of Submission: 04-01-2021 Date of Acceptance: 19-01-2021

सार– महिला सशक्तिकरण के लिये शासन द्वारा नौकरियों से लगातार जनता के मध्यम से चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के पदो में महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 73 वे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, पंचायतो मे एक तिहाई सीटे महिलाओ के लिये आरक्षित की गई थी। कई राज्यों ने आरक्षित सीटो की मात्रा पचास प्रतिशत तक बढ़ा दी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। हालांकि महिलाओ की खराब सामाजिक–आर्थिक स्थिति और प्रचलित पितृसत्तात्मक स्थापना के कारण, पंचायत स्तर पर महिलाओ को नेतृत्व का पूरा लाभ नही मिल पाया। राजनीतिक शक्ति और निर्णय लेने का काम निर्वाचित महिला प्रतिनिधियो के पतियो द्वारा किया जाता है, और इस घटना को सरपंच पति के रूप में जाना जाता है। सरपंच पति बैठको में जाते है और महिला सरपंच को घूंघट में कैद करके रखा जाता है। जब तक
घूंघट रहेगा तब तक महिलाये आगे नही बढ़ सकती। एसे कई मामले सामने आये है जिनमें बताया गया है कि सरपंच पति ग्राम पंचायत के सारे कामकाज में दखल देते है। साथ ही उन पर अभद्रता के आरोप भी लगाये गये है। कानून ने महिलाओं को अधिकार दिये है। जब कानून महिलाओ को अधिकार देता है तो उन्हे राजनीतिक नेतृत्व का अवसर भी मिलना चाहिये। उन्हे सामाजिक, आर्थिक कार्यो के साथ–साथ राजनीतिक कार्यो में भी आगे बढ़ना चाहिये। पंचायतो मे सीटो का आरक्षण महिलाओ के सशक्तिकरण के लिये क्रान्तिकारी कदम था। परन्तु सरपंच पति प्रथा ने महिलाओ को पहले जहा थी वही लाकर खड़ा कर दी है। इसके लिये सरकार को सरपंच पति चलन को एक प्रभावी कानून के माध्यम से संबोधित करना चाहिये। शासन के मामले मे क्षमता निर्माण पर आगे अतिरिक्त काम की आवश्यकता है। महिलाओ के अधिकार के बारे में समाज मे जागरूकता बढाने और पंचायत स्तर पर महिलाओ की भागीदारी के महत्व के बारे में नौकर शाही को संवदेन शील बनाने की आवश्यकता है।

कीवर्ड्स– सशक्तिकरण, संवैधानिक संशोधन, पितृसत्तात्मक, नेतृत्व, सरपंच पति, आरक्षण, नौकर शाही, अभद्रता।

प्रस्तावना– किसी भी देश काल, समाज के निर्माण में नारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परन्तु सर्दियो में हमारे समाज में पुरूषो के अधीन रही है। हालांकि परोक्ष रूप से तो स्त्री को बराबर के अधिकार दिये गये है, देवी का दर्जा दिया गया है लेकिन वास्तविक रूप मे तो सारे अधिकार अधिकतर गौण रूप में ही प्राप्त है। पुरूष प्रधान समाज मे सारे कायदे कानून पुरूषो ने अपने हितो, अधिकारो और सुविधाओ को ध्यान में रख कर बनाये हुये है। वही स्त्रिया भी अपने अधिकारो और कर्त्तव्यो के प्रति अनभिज्ञ है। विशेषकर अपने राजनीतिक अधिकारो और कर्त्तव्यो के

प्रति। महिलाओ में राजनीतिक जागरूकता मे कमी देखी गयी है, खासकर ग्रामीण महिलाओ मे इस दिशा मे संविधान के 73 वे संशोधन के माध्यम से ग्रामीण व स्थानीय निकायो मे क्रान्तिकारी परिवर्तन माना जा सकता है।
संविधान में 73 वे संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और महिलाओ के लिये पंचायत स्तर पर 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जो कुछ राज्यो मे बढ़कर 50 प्रतिशत कर दी गयी है। हमारे संविधान के 73 वे संशोधन के कारण महिलाओ को गांव की राजनीति और शासन मे जगह मिली है। लेकिन दुख की बात यह है कि बड़ी संख्या मे महिला प्रधानो को सरपंच पति या प्रधान पति नामक शर्मनाक प्रथा के द्वारा शक्तिहीन छोड़ दिया गया है।
यूनिसेफ की हालिया फील्ड मॉनिटरिंग रिपोर्ट मे बताया गया है कि यह समस्या कितनी गम्भीर है, मेरे राज्य उत्तर प्रदेश मे 10 जिलो की अपनी रिपोर्ट मे यूनिसेफ ने पाया कि 10 मे 7 महिला प्रधानो को अपने संवैधानिक अधिकारो के बारे मे नही पता था। केवल 3 महिलाओ को पता था कि प्रधान के रूप मे उनकी भूमिका और जिम्मेदारिया क्या है। इसका मतलब यह है कि भारत मे यह आरक्षण 33ः नही है जैसा कि संविधान द्वारा परिकल्पित किया गया है। गांव की राजनीति मे महिलाओ के लिये बमुश्किल 3ः ही सही प्रतिनिधित्व है यह तथ्य कि ये सरपंच पति खुले तौर पर संचालित होते है और सरकारी अधिकारियो प्रशासनिक कर्मचारियो और पुलिस से मिलते है। इसका मतलब है कि इस प्रणालि को सभी के द्वारा स्वीकार किया गया है, इसमे कोई आश्चर्य नही कि यह समस्या बहुत उग्र है इसमे और लगातार जारी है।

विभिन्न राज्य सरकारो ने इस प्रथा से निपटने की कोशिश की है लेकिन इससे अपेक्षित परिणाम नही मिले है कारण यह है कि हमारी नौकर शाही के पास सरपंच पति चलने के लिये स्वीकृति है और किसी के द्वारा इसका विरोध नही किया जा रहा है। **सरपंच पति या प्रधान पति चलन क्या है–** सीधे शब्दो मे कहे तो महिला सरपंच का वह पति जो स्वयं प्रधान के रूप मे सरपंच की सभी जिम्मेदारिया व भूमिका को निभाता है। सरपंच के सभी निर्णय स्वयं लेता है, सरपंच पति कहलाता है, महिला प्रधान केवल कागज पर मौजूद है एक बार चुने जाने के बाद उन्हे दरकिनार कर दिया जाता है और उनके पति या परिवार के पुरूष सदस्यो द्वारा एक मूक दर्शक बनाकर छोड़ दिया जाता है, सरपंच पति ही बैठको का अध्यक्षता करते है, निर्णय लेते है, महिला सरपंच की ओर से उच्च अधिकारियो से मिलते है।

'सरपंच पति' को चलन के उद्भव के कारण– सरपंच पति के चलन के उद्भव के निम्नलिखित कारण है– **महिलाओ की खराब सामाजिक स्थिति–** हमारे समाज मे स्त्रियों की बहुत निम्न दशा है। भारत मे आज भी बहुत से स्थान ऐसे है जहा स्त्रियो को पढ़ने–लिखने नही दिया जाता, उन्हे घर की चार दिवारी में और घूंघट मे कैद करके रखा जाता है, जब तक घूंघट, रहेगा तब तक महिलाये आगे नही बढ़ सकती है। पंचायतो मे 33ः आरक्षण की आड़ मे पुरूष द्वारा स्त्रियो को सरपंच के लिये चुनाव मे खड़ा कर दिया जाता है। और चुनाव जितने के बाद पुरूष
द्वारा, उसके सभी राजनीतिक अधिकारो का उपयोग किया जाता है। स्त्रिया भी अपनी बचपन से निम्न दशा मे पत्नी–बढी होने के कारण पुरूष का विरोध नही कर पाती वे घरेलु स्थानो तक ही सीमित रहती है उन्हे पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेने मे भागीदारी की अनुमति भी नही है।

परंपरिक समाज के कारण सामाजिक बाधाये– गांवो मे भारतीय समाज अभी भी पारंपरिक और रूढ़िवादी है जैसे ग्रामीण क्षेत्रो मे पर्दा की परंपरा बहुत मजबूत है विशेष रूप से उत्तर भारतीय राज्यो मे महिलाओ की सार्वजनिक स्थानो पर हतोत्साहित किया जाता है, यहा तक कि स्थानीय स्तर पर सरकारी अधिकारी महिलाओ से बात करने से बचते है रूढ़िवादी दृष्टि कोण के कारण घूंघट जब महिलाओ पर लगाया जाता है, गंभीर रूप से उनकी सार्वजनिक भागीदारी मे बाधा डालती है। इससे पंचायतो को दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों मे पति को वास्तविक नियंत्रण मिलता है यहां तक की ग्राम सभा की बैठको मे निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति प्रचार लेते है।

कौशल की कमी– अपनी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण या आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिये किसी भी चिता या प्रयासो को प्रदर्शित किये बिना महिलाओ के लिये आरक्षण को पचास प्रतिशत तक बढ़ाकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है।

सरकार की पहल की अनुपस्थिति– 'सरपंच पति' चलन के बावजूद सरकार कानून के माध्यम से या सार्वजनिक जागरूकता के माध्यम से इसके खिलाफ कार्यवाही करने मे विफल रही है।

घरेलू हिंसा– घरेलू हिंसा भी सरपंच पति जैसी कूरीति के लिये जिम्मेदार है। पुरूष द्वारा महिला की मार–पिटाई कर उसे जबरदस्ती प्रधान पद के लिये खड़ा कर दिया जाता है, फिर जीतने के बाद सभी कर्त्तव्यो व अधिकारो का उपभोग उसके पति द्वारा किया जाता है।

'सरपंच पति चलन का प्रभाव– 'सरपंच पति' के चलन का हमारे समाज पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है–

महिलाओ को सशक्त बनाने मे विफलता– 'सरपंच पति' प्रथा या चलन महिलाओ के इच्छित सशक्तिकरण मे बाधा डालती है जो सीटो के आरक्षण के माध्यम से 73 वे संवैधानिक संशोधनो मे से एक था। महिलाओ की सामाजिक स्थिति के संदर्भ मे यथास्थिति बनाये हुये है जिस उद्देश्य से महिलाओ को आरक्षण दिया गया था कि महिलाये भी राजनीतिक कार्यो मे भागीदार हो वह विफल रहा है।

कानून की अवमानना– यह प्रथा कानून के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से रोकते हुये उसकी अवमानना करती है। सरपंच महिलाओ के राजनीतिक कर्तव्यो व अधिकारो का उपभोग गैर कानूनी रूप से सरपंच पति द्वारा किया जाता है। **निर्णय लेने मे अवसर की कमी–** सरपंच पति का चलन महिलाओ की ग्राम स्तर पर निर्णय लेने मे भाग लेने की क्षमता को कम करती है। सरपंच पति द्वारा सरपंच महिला के सभी निर्णय लिये जाते है। पंचायतो की बैठको मे सरपंच महिला के पति द्वारा ही अध्यक्षता की जाती है और महिला घूंघट मे ही कैद होकर रह जाती है।

महिलाओ के शोषण मे वृद्धि– इस प्रथा द्वारा सरपंच पति द्वारा कई ऐसे मामले सामने आये है जिसमे सरपंच महिला को घरेलू हिंसा द्वारा प्रताड़ित कर उसके कार्यो को जबरदस्ती अपने हाथो म`ले लिये जाते है, इस प्रथा द्वारा महिलाओ के शोषण मे वृद्धि देखी गयी है।

अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन– किसी भी शोधार्थी को अपनी शोध समस्या के चयन परिकल्पना निर्माण व अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने के लिये ठोस आधारो की आवश्यकता होती है यह ठोस आधार पुस्तको पत्र–पत्रिकाओ, लेखो आदि से प्राप्त होता है। इसके लिये शोधार्थी को सन्दर्भ साहित्य के सर्वेक्षण की

आवश्यकता होती है। जो निम्नलिखित है। ईशा अग्रवाल की पुस्तक महिलाओ की राजनीति मे बढ़ती सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण (2014) इसमे महिला सशक्तिकरण की दिशा मे महिलाओ को प्राप्त अधिकारो व सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमो की जानकारी है या नही? इन सभी मुद्दो व समस्याओ के उत्तर खोजने की कोशिश की गई है। 2. सुनील महावर की पुस्तक भारत मे महिला सशक्तिकरण के विविध आयान और चुनौतिया (2013) इसमे लेखक द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं महिला विकास से सम्बन्धित सरकारी नीतियो एवं कार्यक्रमो के संवर्ग मे अध्ययन किया गया है और महिलाओ के अधिकार से सम्बन्धित कानून का भी वर्णन किया गया है। 3. सुनील कुमार की पुस्तक महिलाओ मे राजनीतिक जागरूकता एक विश्लेषण (2009) इसमे महिलाओ को अपने राजनीतिक अधिकारो के प्रति जागरूकता के सन्दर्भ मे विश्लेषण किया गया है, उपर्युक्त सभी प्रस्तको मे महिलाओ के सामाजिक, आर्थिक व

राजनीतिक अधिकार का विश्लेषण किया गया है परन्तु सरपंच पति जैसी गंभीर प्रथा का इन सभी पुस्तको या लेखो मे बहुत ही कम विवेचन किया गया है। सरपंच पति जैसे गंभीर चलन का जितना विश्लेषण होना चाहिये ताकि इस जैसी कुरीति को समाज मे कम किया जा सके, उतना नही किया गया है, अतः मेरे द्वारा कोशिश की गई है कि सरपंच पति पर मेरे द्वारा किये अध्ययन तथा विश्लेषण से इस बुराई या कुरीति को समाज से मुक्ति मिलने मे थोडा बहुत सहयोग मिल सके।

अध्ययन की शोध विधि– किसी भी अनुसंधान कार्य मे शोध पद्धति का विशेष महत्व होता है, शोध मध्ययन को सार्थक और सत्य पर आधारित करने के लिये वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेना पड़ता है, प्रस्तुत अध्ययन सरपंच पति के चलन का सैद्धान्तिक, अनभवात्मक, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन है, मैंने प्रस्तुत अध्ययन मे डॉक्ट्रिनल मेथड़ या सिद्धान्त पद्धति के लिये आंकड़े या डेटा पुस्तकालय पत्रिकाओ, केस कानून, समाचार पत्रो व इंटरनेट आदि से लिये है। समय–धन बचाने के लिये मैंने शोधकार्य हेतु सिद्धान्त पद्धति का उपयोग किया है। दूसरा यह पुस्तकालय पर आधारिकत हैख् यह शोध के लिये कम खर्चीली व कम समय लेने वाला तरीका भी है। और अध्ययन की पद्धति मेरे अनुभव और किये गये विश्लेषण पर आधारित है।

निष्कर्ष व सुझाव– महिला सशक्तिकरण के लिये शासन द्वारा जनता के माध्यम से चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियो के पदो मे महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हालात यह है कि मुख्य रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर पी यानि सरपंच पति काम काज की बागड़ोर संभाले हुये है। सरपंच पति ग्राम पंचायतो के सारे कामकाज मे दखल करते है। साथ ही उनके द्वारा महिला सरपंच पर अभद्रता के आरोप भी देखे गये है। इतना ही नही वह पूरे समय पंचायत मे सरपंच कुर्सी पर बैठकर कामकाज देखता है सरपंच पति द्वारा अनावश्यक दखल देकर शासन ने उस आदेश की भी धज्जिया उड़ाई जा रही है, जिसमें महिला जनप्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति या अन्य रिश्तेदार कामकाज नही देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पंचायतो मे सरपंच पति संस्कृति समाप्त करने का आहवान करते हुये गरीबी उन्मूलन तथा शिक्षा के प्रचार–प्रसार मे निर्वाचित ग्राम प्रतिनिधियो के लिये नेतृत्व वाली भूमिका की वकालत की सरपंच महिला के कामकाज मे पतियो के कथित दखल के बारे मे मोदी ने एक राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र किया। उनके अनुसार किसी ने उनसे कहा कि वह सरपंच पति प्रधानमंत्री ने कहा कि सरपंच पति का काम चल रहा है। कानून ने महिलाओ को अधिकार दिये है। जब कानून उन्हे अधिकार देता है तो उन्हे अवसर भी मिलना चाहिये। इस सरपंच पति संस्कृति को खत्म करे और महिलाओ के राजनीतिक भूमिका का अवसर दिया जाना चाहिये। उन्हे आगे बढ़ने देना चाहिये।

पंचायतो मे सीटो का आरक्षण महिलाओ के सशक्तिकरण के लिये क्रान्तिकारी कदम था। हालांकि इसके लिये प्रभावी सरकार को सरपंच पति की घटना को एक प्रभावी कानून के माध्यम से संबोधित करना चाहिये। महिलाओ की खराब सामाजिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहिये, उन्हे पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेने मे भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिये। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिये। सरकार को पंचायतो मे प्रधान पद के लिये निर्वाचित महिला के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि उसमे आत्मविश्वास की वृद्धि हो सके। सरकार को पर्दा प्रथा पर रोक तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, देने वाले कार्यक्रम चलाने चाहिये। सरकार को सरपंच पति जैसी कुरीति को रोकने के लिये कठोर कानून बनाने चाहिये जिससे सरपंच पति जो महिला सरपंच के अधिकारो व कर्त्तव्यो का असवैधानिक रूप से निर्वहन करता है पर रोक लगाई जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1- दंपकनदपंण्बवउ एसपी संभाल रहे पंचायतो की व्यवस्था' 22 रनस 2015

2- पदकपंण्दमे पेण्बवउ ' दिल्ली का दंगल' 2020. 3. ंमम दमे हिन्दी

4- क्तपैजपपेंण्बवउ 'हिन्दी साहित्यः पेन ड्राइव कोर्स'

5- डण्चंजतपबंण्बवउ 'मोदी ने कहा कि किसी भी गांव मे बसने वाले लोग बड़े सपने देखते है 6. ीजजचेरूध्ण्बींदहमण्वतह

7- ीजजचेरूध्ण्हवअमतदंदबमदवूण्बवउ

8- डण्चंजतपबंण्बवउ प्रधानपति फोटो, प्रधानपति इमेज

9- छंअईतंजजपउमे प्रधानपति संजमेज प्रधानपति छमे – नदकंजमे चतंकींद३ छंअईतंज ज्पउमे 6 क्मब 2019

10- ईशा अग्रवाल की पुस्तक 'महिलाओ की राजनीति मे बढ़ती सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण' (2014) 11. सुनील महावर की पुस्तक भारत मे महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम और चुनौतिया' (2013) 12. सुनील कुमार की पुस्तक 'महिलाओ मे राजनीतिक जगरूकताः एक विश्लेषण (2009)

13- ीजजचेरूध्ध उण्जपउमे वि पदकपंण्बवउ ष्चतंकींद चंजप संजमेज दमेए अपकमवे ंदक चीवजवे वि चतंकींद चंजप

14- अमर उजाला. कॉम

15- ीजजचेरूध्ध्उण्सपअमीपदकनेजंदण्बवउ 'प्रधानपति दमे पद ीपदकप प्रधानपति से जुडी खबर 16. ीजजचेरूध्ध

ीपदकपण्दमूेण्बवउ अलीगढ़ प्रधान पति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या 17. ंमम दमूेण प्दकपंण्बवउ कानपुरः प्रधानपति की घर के पास गोली मारकर हत्या
18- ीजजचेरूध्ध्ूण्उंतनरंसंण्बवउ चतंकींद ीनेइंदक उनतकमत इल ेवववजपदह पद झींपचनत19उंत2019
19- ीजजचेरूध्ध्ूण्चंजतपबंण्बवउ चतंकींद ीनेइंदक ंदक`वद पिहीज ूपजी अपसंसंहमते
20- ीजजचेरूध्ध्उण्चंजतपबंण्बवउ पंचायतो से सरपंच पति कल्चर खत्म करने की जरूरत ....मोदी 24 ।चत 2015
21- भ्पदकपण्वदमपदकपंण्बवउ रोचकः ये है दो बीवी वाले, प्रत्याशो, सरपंच पद के लिये एक 10 श्रंद 2020